न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
198/2025	16/07/2025	11/11/2025

– उनवान –

1. कैलाश पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति मीणा निवासी चक करोल, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1 इलिप्स गार्डन एल.एल.पी.पजी. कार्या. एफ. तेरह बी, मालवीय इण्ड ए. जयपुर जरिये पार्ट एकलव्य सिंह।
2 एकलव्य सिंह पुत्र अजीम कुमार सिंह जाति राजपुत निवासी म0न0 डी–723 सोम्य मार्ग गांधी नगर जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
3 कजोड पुत्र छोटू
4 कमली देवी पत्नी श्योदान
5 कानाराम पुत्र गुल्ला
6 कालू पुत्र भगता
7 कालू राम पुत्र बाबूलाल.
8 कोयली देवी पत्नि शंकर लाल
9 गेदी पतिन बाबूलाल
10 गिर्राज प्रसाद पुत्र बाबू लाल
11 छोटू राम पुत्र बाबूलाल
12 छोटा राम पुत्र भरता
13 छोटा राम पुत्र भवरा
14 नन्छू पुत्र बाबू लाल
15 पप्पू राम बाबूल लाल
16 प्रकाश पुत्र भगता
17 प्रहलाद पुत्र साधु
18 पांचु राम पुत्र ईश्वराम
19 मुकेश पुत्र बाबूलाल
20 मन्नाराम पुत्र बाबूलाल
21 मीरा देवी पत्नि प्रहलाद
22 रंगलाल पुत्र अर्जुन लाल
23 रमेश चन्द पुत्र अर्जुन लाल
24 रामू पुत्र भगता
25 रामकरण पुत्र भरता
26 रामकिशन पुत्र भरता
27 शंकर लाल पुत्र भरता
28 श्योदान पुत्र साधू
29 श्रवण पुत्र भरता
30 शिवदान पुत्र भक्तावर
31 सुण्डाराम पुत्र अर्जुनलाल
32 सुरजा पुत्र रामसहाय
33 सोनी पत्नि गुल्ला
34 हनुमान पुत्र गुल्ला
35 हेमराज पुत्र भगता
समस्त जातियान गुर्जर निवासी ग्राम डेकला तहसील जवमारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
36 आर्थ सियरा पुत्र डॉ0 चंन्द्रकान्त
37 पर्थ सियरा पुत्र डॉ0 चन्द्रकान्त
38 संगीता पत्नि डॉ0 चन्द्रकान्त
समस्त जातियान मीना निवासी बोन्यावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
39 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

40 दवारका पुत्र लक्ष्मीनारायण
41 रामनाथ पुत्र गंगा बक्स

उप खण्ड अधिकारी
उप ख[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

ललित किशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण समस्त जातियान मीना निवासी ग्राम चक करोल तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रारूपिक पक्षकार

उपस्थित अभिभाषक

श्री रूपनारायण गुर्जर – वकील प्रार्थीगण।
श्री रामस्वरूप शर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 36, 37, 38

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राज0 भू राजस्व अधिनियम

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 66400है0 ग्राम ढेकला पटवार हल्का ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थी की अभिलिखित सह खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 62 से होते हुये खसरा नम्बर 191/61 जो प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि से लगवा स्थित से होते हुये प्रार्थी की सह खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 50 मे रास्ता के लिये उपयोग उपभोग के लिये किया जा रहा है। मौके पर आने जाने हेतु वर्षो से चालू रास्ता है। प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर 50 की खातेदारी के लगवा स्थिति उक्त खसरा नम्बर में से पूर्व से ही आते जाते रहे है लेकिन उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने से प्रार्थी को आये दिन उक्त खसरा नम्बर के खातेदार द्वारा झगडा उत्पन्न करते है तथा प्रार्थी को प्रार्थी की भूमि जाने के लिये साधनो को नही जाने देते है प्रार्थी जैसे तैसे अपने उक्त भूमि में जाता रहा है। लेकिन वर्तमान समय में प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बरों मे आने जाने के लिये साफ मना कर दिया गया है कि यह तो हमारे नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। हम जैसे चाहे वैसे उपयोग उपभोग में लेगे उक्त भूमि में हम ही आयेगे ये धमकिया दिया जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड नक्शें में दर्शित नही है परन्तु भौतिक रूप से उक्त रास्ता ही प्रार्थी के लिये उपलब्ध है। इसलिये विधिक रूप से रिकार्ड में खसरा नम्बर 50 के दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व–पश्चिम दिशा से संलग्न नजरी नक्शें मौके मे दर्शित लाल रंग का रास्ता 30 फिट चौडा व 1500 फीट लगभग लम्बा रास्ता अंकित की जो कि खसरा नम्बर 62 डेकला से चिलपली मोड के लिये गै0मु0 सडक तक करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 50 मे आने जाने के लिये खसरा नम्बर 191/61 मे से रास्ता उक्तानुसार 30 फीट चौडा व 1500 फीट लम्बा अंकित राजस्व रिकार्ड में कायम करने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 36, 37, 38 की ओर से एड0 श्री रामस्वरूप शर्मा ने दिनांक 04.11.2025 को उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब बाबत सहमति प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल मिसल है। शेष अप्रार्थीगण को तलबी जरिये तहसीलदार करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 35 व 40 लगायत 42 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अप्रार्थी सं0 39 (पैरोकार सरकार) ने अपना जवाब पत्रांकः एल0आर0/25/6359 दिनांक 30.07.25 द्वारा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढेकला के खसरा नम्बर 50 रकबा 664है0 प्रार्थी की सह खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 191/61 रकबा 1.40है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि से दक्षिणी दिशा से लगता हुआ है। जिसमें मौके पर कच्चा रास्ता सुचारू रूप से चालू है जिसमें से प्रार्थी आवागमन करता है। खसरा नम्बर 191/61 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार सहखातेदारी भूमि दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 191/61 की उत्तरी पश्चिमी सीमा से वर्तमान में मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है। जिसमी लम्बाई 540 मीटर व चौडाई 8 मीटर कुल रकबा 4320 वर्गमीटर अर्थात 0.4320है0 भूमि की मांग की गयी है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खसरा नम्बर 50 पर में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नही है।

अप्रार्थी सं0 36, 37, 38 ने अपनी सहमति जवाब में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 191/61 मे से खसरा नम्बर 50 में रास्ते के लिये दिया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। उक्त रास्ते की भूमि हमारे हिस्से मे से हमारी खातेदारी कम कर दी जाती है तो हम इसके खातेदारी कम कर दी जाती है तो हम इसके लिये सहमत है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी बाबत सहमति कर्ता की भूमि की लम्बाई के अनुसार देने हेतु पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण मे सहमति कर्ता की कुल भूमि को उक्त रास्ते के लिए 6.50मीटर चौडाई के अनुसार किया जाता है तो सहमति कर्ता को कोई आपत्ति नही है।

उप खण्ड अधिकारी

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी सपठित धारा 131, 132 एल0आर0 एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में रास्ते को लेकर है। जिसमें अप्रार्थी सं0 36, 37, 38 ने रास्ते के लिये सहमति प्रदान की है। उक्त रास्ते की भूमि वादी के हिस्से की भूमि के बदले दिया जाकर प्रार्थी की हिस्से की भूमि कम कर रास्ते में दिया जाकर रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी सहमत है। प्रार्थी के हिस्से की भूमि रास्ते में देकर रास्ता दिया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते की भूमि प्रार्थी के हिस्से की भूमि के बदले भूमि देकर रास्ता दिये जाने की कृपा करें।

अतः बहस वकील उभय पक्षों की सुनने व पैरोकार सरकार का जवाब व पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात तथा सहमति प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर पत्रावली प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जवमारामगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम ढेकला, पटवार हल्का ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 50 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 191/61 में से संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट के नजरी नक्शे अनुसार 540 मीटर लम्बाई व 6.50 मीटर चौडा लभगग कुल क्षेत्रफल 3510 वर्गमीटर रास्ते के रूप में भूमि को गैर मुमकिन रास्ता के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं उक्तानुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करे तथा उक्तानुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। उक्त भूमि काश्तकारों की खातेदारी में यथावत रहते हुए रकबा 0.3510 वर्गमीटर की किस्म गै0मु0रास्ता के रूप में रहेगी। नक्शा दुरूस्त कर उक्तानुसार रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 11.11.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उप खण्ड अधि[illegible] एवं
उप खण्ड अधि[illegible]
जमवारामगढ

Scanned with OKEN Scanner